



2026:AHC-LKO:42028

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

दाण्डिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4519 वर्ष 2026

नफीस अहमद

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ

..... विरोधी पक्षकार (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अतुल वर्मा, विनोद कुमार यादव

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 12

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।

वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 104 वर्ष 2026, अन्तर्गत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना- इन्दिरा नगर, जनपद- लखनऊ में विचारण के दौरान उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विरुद्ध गैंग-चार्ट में एक वाद दर्शाया गया है, जिसमें उसे जमानत प्रदान की जा चुकी है। जमानत आदेश की प्रति जमानत आवेदन के साथ संलग्न की गई है। उपरोक्त एक वाद के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक किसी समाज विरोधी क्रियाकलाप में संलिप्त नहीं है तथा वह किसी गिरोह का न सदस्य है और न नेता। आवेदक दिनांक 15.05.2026 से कारागार में परिरुद्ध है। आवेदक वचन देता है कि जमानत प्रदान किए जाने की दशा में वह उसकी स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाहियों में सहयोग करेगा।

इसके प्रतिकूल, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु वे इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि गैंग-चार्ट में दर्शाए गए वाद में आवेदक को जमानत पर अवमुक्त किया जा चुका है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के निवेदनों, अभियोजन की प्रकृति एवं दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की गम्भीरता, समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथमदृष्टया सन्तुष्टि, दण्ड के सुधारात्मक सिद्धान्त तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश पर विचार करते हुए, तथा प्रकरण के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत हेतु उपयुक्त प्रकरण पाता हूँ।

आवेदक- नफीस अहमद, जो उपरोक्त उल्लिखित अपराध में आलिप्त है, को सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा उतनी ही राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाए :-

- (1) आवेदक विवेचना अथवा विचारण के दौरान साक्षियों को भयभीत करके/उन पर दबाव डालकर अथवा अन्यथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (2) आवेदक इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर, जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं चाहेगा। वह विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम

से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की दशा में विचारण न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-क के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा;

(3) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) वाद के प्रारम्भ, (ii) आरोप विरचन तथा (iii) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत कथन अभिलिखित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा; तथा

(4) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-क के अन्तर्गत उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

प्रतिभुओं की पहचान, प्रास्थिति एवं निवास-प्रमाण का सत्यापन सम्बन्धित न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी भंग की दशा में अधीनस्थ न्यायालय जमानत निरस्त करने तथा आवेदक को कारागार भेजने के लिए स्वतन्त्र होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में किए गए प्रेक्षण कड़ाई से इस जमानत आवेदन के निस्तारण तक ही सीमित हैं तथा उन्हें प्रकरण के गुणदोष पर किसी प्रकार का प्रतिबिम्बन नहीं समझा जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

जून 25, 2026

आरती/-